

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(गुप-2)विभाग

कमार सं 34(39)चिस्वा/2/2019

जयपुर,दिनांक. 04.06.2019

निदेशक(जनस्वा.),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0जयपुर।

विषय:- चिकित्सा अधिकारियों को विभागीय जाच बकाया नहीं का प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अधिवापिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति हो रहे चुके हैं, के विरुद्ध

1-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव-अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जाच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

2-राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

3-कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


क्र. सं.	चिकित्सक का नाम मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	डॉ. दिनेश कोठारी, व.वि. (टी.बी)	टी.बी क्लिनिक, उदयपुर	04.04.57	30.04.19
2	डॉ. गणपत चन्द गुप्ता, व. वि. (एनेस्थेसिया)	राजकीय हरिवंश काटिया चिकित्सालय, जयपुर	08.04.57	30.04.19
3	डॉ. जयनारायण खत्री, प्र.वि.अ.	राजकीय डीबी जनरल अस्पताल, चूरु	06.04.57	30.04.19
4	डॉ. रमेश चन्द ओला, प्र.वि. (गायनी)	राजकीय जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़	08.04.57	30.04.19
5	डॉ. विष्णु कुमार चौहान, उप निदेशक	मजला गांधी चिकित्सालय, भीलवाडा	09.04.57	30.04.19
6	डॉ. अरुण कुमार माथुर, प्र.वि. (मेडिसिन)	राजकीय छोटी सादडी, प्रतापगढ़	01.05.57	30.04.19
7	डॉ. घनश्याम राठी, प्र.वि. (टी.बी.)	टी.बी सेंटोरिया, बड़ी उदयपुर	17.05.57	31.05.19
8	डॉ. प्रमोद कुमार सक्सेना, प्र.वि. (मेडिसिन)	राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर	01.06.57	31.05.19
9	डॉ. रमेश चन्द शर्मा, उप निदेशक	राजकीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	08.05.57	31.05.19

kamlesh ji/A -4 Letter/2018

10	डॉ. शिव भगवान पाण्डे, प्र. गु. चि. अ.	सा.स्वा.के. सादडी, पाली	08.05.57	31.05.19
11	डॉ. अब्दुल सलीम, प्र. वि. (एनेस्थेसिया)	लीव रिजर्व मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर	26.06.57	30.06.19
12	डॉ. रामकुमार गुप्ता, क.वि. (सर्जरी)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बयाना, भरतपुर	25.06.57	30.06.19
13	डॉ. रंगलाल भीणा, प्र.वि. (मेडिसिन)	सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर	01.07.57	30.06.19
14	डॉ. शिव कुमार व्यास, प्र. वि. (मेडिसिन)	जिला-क्षय-निवारण-केन्द्र, जैसलमेर	15.06.57	30.06.19
15	डॉ. शौकत अलो, प्र. गु. चि. अ.	जिला चिकित्सालय, सीकर	01.07.57	30.06.19
16	डॉ. सुरेश कुमार नैरा, प्र. वि. (नेत्र)	जिला चिकित्सालय, अलवर	20.06.57	30.06.19

ऊपर वर्णित चिकित्सकों के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय ज इत्यादि लम्बित नहीं है, भी सुनिश्चित करे।

भवदीय



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित सयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
2. संबंधित चिकित्सक, जरिये निदेशक (जन.स्वा.)।
3. कम्प्यूटर/रक्षित पत्रावली।



(ओ.पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार


निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई-26/प्र0वि0/आर-249/2019/979

दिनांक : 24/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. रायुका निदेशक, पेंशन विभाग हनुमानगढ को भेजकर लेख है कि डा0 रमेशचंद ओला प्र0वि0(गायनी) राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ के विरुद्ध वर्तमान मे निदेशालय स्तर पर विभागीय जाच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ।
3. डॉ. रमेश चंद ओला, प्र0वि0(गायनी) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. रक्षित पत्रावली।
5. विशाखा की वेबसाइट पर अपलोड करावे।


अति निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर